न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –76/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
ओमप्रकाश गोद पुत्र मेघाराम पुत्र नंदाराम जाट(कडवा) निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर		1. शांतिलाल पुत्र माणकलाल 2. अशोक कुमार पुत्र माणकलाल 3. दीनदयाल पुत्र माणकलाल 4. दिलीप पुत्र माणकलाल 5. श्रीमति जेठीबाई पुत्री माणकलाल 6. मंजूबाई पुत्री माणकलाल 7. कलावती पुत्री माणकलाल 8. विजयलक्ष्मी पुत्री माणकलाल 9. कान्ता बाई पत्नी कांतिलाल 10. रमेश पुत्र कांतिलाल 11. सुरेश पुत्र कांतिलाल 12. ललिता पुत्री कांतिलाल 13. मुघ पुत्री कांतिलाल 14. चन्द्रकांता पुत्री कांतिलाल 15. चन्द्रकान्ता पत्नि कन्हैयालाल 16. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल 17. रमेश पुत्र कन्हैयालाल 18. सन्तोष पुत्री कन्हैयालाल जाति तमाम ब्राह्मण निवासीगण परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर। 19. तहसीलदार परबतसर, तहसील परबतसर जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर मुण्डेल।
2. रेस्पोडेन्ट 12 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 21-5-2018

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम परबतसर तहसील परबतसर का म्यूटेशन संख्या 2054 जो तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 14.06.95 को खारिज किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 04.08.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील तावे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 18 को जरिये रजिस्टर्ड एडी के नोटिस भेजे गये, परन्तु इनकी तामील नहीं होने पर वकील अपीलान्ट के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 18 के नोटिस का अखबार साया करवाया गया। अखबार साया के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 18 ने हस्तगत प्रकरण सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के गोद पिता मेघाराम ने एक कृषि भूमि का भूखण्ड हाल खसरा नम्बर 303 रकबा 0.6919 हैक्टयर एवं साबिका खसरा नम्बर 195 रकबा 8 बीघाा 11 बिस्वा मौजा परबतसर में से रामस्वरूप एवं तेजकरणसिंह उर्फ चंदु पुत्र लालसिंह जाति माली निवासी परबतसर से दिनांक 22.07.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के खरीदा एवं कब्जा प्राप्त किया।

अपीलांट के गोद पिता अकेले ही अविवाहित स्थिति में वृद्व हो गये तब दिनांक 11.12.2008 को अपीलांट को गोद पुत्र लेकर तमाम रस्म पूरी कर एक गोदनामा रजिस्टर्ड व पंजीयन करवा दिया, तब से अपीलांट मेघाराम का गोद पुत्र रहा है नकल गोदनामा संलग्न प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट प्रार्थी ने अपने उक्त कृषि भूखण्ड पर चारदीवारी बनाना शुरु की, तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर सींव को लेकर काम रुकवा दिया, तब प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले व म्यूटेशन संख्या 2054 ग्राम परबतसर की नकले प्राप्त की, तब जानकारी में सर्वप्रथम पता चला कि प्रार्थी के गोद पिता मेघाराम के नाम खरीदसुदा कृषि भूखण्ड का म्यूटेशन दिनांक 14.06.1995 को खारिज कर दिया एवं दिनांक 01.08.2016 को नकल प्राप्त होने पर यह तुरन्त ही अपील माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी के तुरन्त बाद प्रस्तुत की गई है, जो अंदर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करने हेतु अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपीलान्ट का मियाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया, वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद माना जाकर अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर बहस अंतिम सुनी गई।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा म्यूटेशन जैर अपील में वर्णित वादग्रस्त खसरा नं. 195 मौजा परबतसर की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन करने पर तहसीलदार परबतसर को उक्त संबंध में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौका रिपार्ट मंगवाई गई।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के गोद पिता मेघाराम ने एक कृषि भूमि का भूखण्ड हाल खसरा नम्बर 303 रकबा 0.6919 हैक्टयर एवं साबिका खसरा नम्बर 195 रकबा 8 बीघाा 11 बिस्वा मौजा परबतसर में से रामस्वरूप एवं तेजकरणसिंह उर्फ चंदु पुत्र लालसिंह जाति माली निवासी परबतसर से दिनांक 22.07.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के खरीदा एवं कब्जा प्राप्त किया। खरीदे गये भूखण्ड के पड़ोस व माप के अनुसार पूर्व में बगताराम माली का खेत, पश्चिम में बेचानकर्ता की शेष जमीन, उत्तर में सड़क एवं दक्षिण में मेघाराम खरीददार का खेत है जिसका माप निम्नानुसार है – पूर्व दिशा की भुजा 70 फुट, पश्चिमी भुजा 70 फुट, उत्तरी भुजा 96 फुट दक्षिणी भुजा 100 फुट तथा कुल 3430 वर्गफुट अर्थात 381 वर्गगज का कुल कृषि भूखण्ड रहा, जिसके विकय पत्र की नकल अपील के साथ प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के गोद पिता अकेले ही अविवाहित स्थिति में वृद्व हो गये तब दिनांक 11.12.2008 को अपीलांट को गोद पुत्र लेकर तमाम रस्म पूरी कर एक गोदनामा रजिस्टर्ड व पंजीयन करवा दिया, तब से अपीलांट मेघाराम का गोद पुत्र रहा है। गोदनामा नकल अपील के साथ प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के गोद पिता मेघाराम द्वारा उक्त खरीदसुदा कृषि भूखण्ड का नामान्तरकरण अपने नाम करवाने के लिए पटवारी हल्का परबतसर से म्यूटेशन भरवाया तब दिनांक 14.06.1995 को भू अभिलेख निरीक्षक से सत्यापित करवाया गया, मगर तत्कालीन तहसीलदार परबतसर द्वारा स्थल निरीक्षण के अभाव में अपुष्ट व निराधार कारण होटल चलाना दर्शाकर दिनांक 14.06.1995 को म्यूटेशन खारिज कर दिया गया, तत्पश्चात अपीलांट के गोद पिता मेघाराम की मृत्यु दिनांक 18.12.2008 को मृत्यु हो गई। नकल म्यूटेशन संख्या 2054 ग्राम परबतसर व मृत्यु प्रमाण पत्र मेघाराम का संलग्न है।

अपीलांट के गोद पिता मेघाराम के हक विकय पत्र दिनांक 22.07.1994 के बाद रामस्वरुप, तेजकरणसिंह उर्फ चंदु तथा माणकलाल ने अलग अलग दो विकय पत्र भी रुकमणी देवी, बाबुराम बंसल को करवाये एवं माणकलाल के उत्तराधिकारीयों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ, मगर अपीलांट के गोद पिता का नाम दर्ज म्यूटेशन खारिज कर देने से नहीं भरा गया। अपीलांट ने अपने उक्त कृषि भूखण्ड पर चारदीवारी बनानी शुरु की तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर सींव को लेकर काम रूकवा दिया, तब अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड की नकले व म्यूटेशन संख्या 2054 ग्राम परबतसर की नकले प्राप्त की तो पता चला की अपीलान्ट गोद पिता मेघाराम के नाम से विकय पत्र का म्यूटेशन खारिज कर दिया, जिससे जानकारी से तुरन्त बाद अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लायक अदालत मातहत ने न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर आदेश जैर अपील पारित करने में वाक्याती व कानूनी भूल की है, जिससे तहसीलदार परबतसर का आदेश दिनांक 14.06.1995 काबित अपास्त किये जाने के है। बेचानकर्ता रामस्वरूप व तेजकरणसिंह उर्फ चंदु द्वारा विकय पत्र दिनांक 12.12.1996 बहक श्रीमति रूकमणी देवी में भी अपीलान्ट के गोद पिता मेघाराम के कृषि भूखण्ड का पड़ोस दर्शाया है। इस प्रकार मौके पर काबिज स्थिति खाली भूखण्ड होते हुए भी तहसीलदार परबतसर द्वारा होटल गलत रूप से दर्शाकर म्यूटेशन खारिज करने में विधिक भूल की है।

वर्तमान में अपीलान्ट का उक्त पड़ोस व माप के कृषि भूखण्ड पर बतौर खातेदार के कब्जा काश्त है एवं भूखण्ड खाली व खुला पड़ा होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 2054 ग्राम परबतसर का आदेश दिनांक 14.06.1995 को अपास्त किया जाकर उक्त कृषि भूखण्ड का म्यूटेशन अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने अन्यथा विकल्प में पत्रावली रिर्माण कर पुनः गुणावगुण पर सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन किये जाने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे.(9) 2002 पेज–108 एवं आरबीजे (7)पेज–176 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए अपीलान्ट की अपील सारहीन होने का कथन करते हुऐ खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में रामस्वरूप व तेजकरण सिंह उर्फ चंदु द्वारा अपने हिस्से में से 381.11 वर्गगज भूमि विकय का पंजीयन 22.07.1994 कराकर कब्जा देने के आधार पर पटवारी परबतसर द्वारा दिनांक 28.05.1995 को मेघाराम वल्द नंदाराम कौम जाट (कडवा) सा. देह 381.11 वर्गगज भूमि का ग्राम परबतसर तहसील परबतसर का नामान्तरकरण संख्या 2054 भरकर प्रस्तुत किया, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक परबतसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.6.95 से इन्द्राज सही पाया की रिपोर्ट अंकित की, जिस पर तहसीलदार परबतसर ने मौके पर केता बिना लीज एवं रूपान्तरण होटल चलाने एवं तहसील कार्यालय में आर.एल.आर. एक्ट की धारा 90ए में मामला विचाराधीन होने से उक्त नामान्तरकरण कृषि भूमि का भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेने के

कलक्टर, नागौर

आधार पर दिनांक 14.06.1995 को खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार परबतसर ने पटवारी परबतसर द्वारा दिनांक 28.05.1995 को भरे गये नामान्तरकरण को तथा भू अभिलेख निरीक्षक परबतसर की रिपोर्ट दिनांक 14.6.95 को अप्रत्यक्ष रूप से सही माना है, परन्तु मौके पर केता बिना लीज एवं रूपान्तरण होटल चलाने एवं तहसील कार्यालय में आर.एल.आर. एक्ट की धारा 90ए में मामला विचाराधीन होने से तथा कृषि भूमि का भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेने के आधार पर नामान्तरकण जैर अपील को दिनांक 14.06.1995 को खारिज किया है। आर.एल.आर. एक्ट की धारा 90ए के तहत तहसील में विचाराधीन मामले में क्या कार्यवाही की हुई है, यह राजपैरोकार एवं वकील अपीलान्ट बताने में असफल रहे है।

हस्तगत प्रकरण में वकील अपीलान्ट के निवेदन पर म्यूटेशन जैर अपील में मौजा परबतसर के वादग्रस्त खसरा नम्बर 195 की, मौका कमीशनर तहसीलदार परबतसर मौका रिपोर्ट चाही गई, जिसके संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) परबतसर द्वारा अपने पत्रांक–भू.अ./विविध/2018/1186 दिनांक 03.05.2018 के साथ फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04.2018 प्रेषित की है, जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 195 के नामा.सं. 3022 द्वारा खसरा नम्बर 195, 195/3, 195/4 अंकित हुए। जिनका नवीन भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 303, 301, 302 बनना बताया है, उक्त फर्द मौका रिपोर्ट अंकित नजरी नक्शों में मार्क ए,बी,सी मौके पर वादी के पास होना बताया गया है।

प्रकरण में रामस्वरूप व तेजकरण सिंह उर्फ चंदु द्वारा अपने हिस्से में से 381.11 वर्गगज भूमि विक्रय का पंजीयन 22.7.94 कराकर कब्जा देने के आधार पर पटवारी परबतसर द्वारा दिनांक 28.05. 1995 को मेघाराम वल्द नंदाराम कौम जाट (कडवा) सा. देह 381.11 वर्गगज भूमि का ग्राम परबतसर तहसील परबतसर का नामान्तरकरण संख्या 2054 भरकर प्रस्तुत किया, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक परबतसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.6.95 से इन्द्राज सही पाया की रिपोर्ट अंकित की उक्त रिपोर्टों का तहसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तकरण जैर अपील में कोई खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार प्रकरण के उपर्युक्तानुसार समग्र तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण तहसीलदार परबतसर प्रकरण में पुनः निर्णय हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित आदेश म्यूटेशन जैर अपील को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर को, इस निर्णय में किये गये विवेचन के तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए संबंधित पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य आदि का नियमानुसार अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। मूल म्यूटेशन एवं निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर को पालनार्थ भिजवाई जाकर प्रभारी अधिकारी(भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर को भी निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए सूचित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर